

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—एण्ड 3—उप-एण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

do 91]

मई विस्ली, बुधवार, मार्च 7, 1990/फाल्गुन 16, 1911

No. 91] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 1990/PHALGUNA 16, 1911

इ'स भाग में भिन्न पूष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में राखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भृतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

प्रधिमूचनाएं

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1990

सा.का.नि. 116(प्र) :-- महापत्तन त्यास प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के प्रावधानों के प्रमुसरण में और भारत सरकार, जल-भृतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की प्रधिसूचना संख्या जी एस ग्रार ... दिनांक 31-12-87 के प्रधिन्नमण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित भारणी के कालम 4 में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें कांडला पत्तन के न्यामी मण्डल में उक्त सारणी के कमणः कालम 2 और 3 में दर्शाण गए प्रत्येक निकाय द्वारा प्रत्येक के हिनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाना है।

बशतें, यदि उक्त सारणी की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित निकाय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो तो ऐसे निकाय द्वारा चुने गए व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगें । सारणी

ऋम सं. निकायों का नाम

हिन नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या

2. गुजरात चेम्बर श्राफ कामर्स शिपरो 1
 एण्ड इंडस्ट्री, श्रहमदाबाद
 3. पंजाब, हिन्याणा एण्ड दिल्ली शिपर्स 1

चेम्बर श्राफ कामर्स एण्ड इंडम्ट्री 4. भारतीय तेल निगम लिमिटेड श्रन्थ हित 1

बुल

659 GI/90

2. उपल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 16 मार्च, 1990 की समाप्त होने वाली अविध की उस अविध के रूप में विनि-विषय करती है जिसके अंदर न्यासियों का चुनाव किया जाएगा

3. यह ग्रधिसूचना 1 भ्रद्रैल, 1990 से लागू होगी।

[एक मं, पीटी 18011-3/89-पीटी (ii)]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th March, 1990

G.S.R. 116(E).—In pursuance of the provisions of subclause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R....dated 31-12-87 the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodios to represent each of the interests shown respectively in columns 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Kandla;

Provided that in the case of body mentioned against Serial Number 4 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

SI.		Interest	Number of persons to be appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indian National Shipowners Association, Bombay.	Shipowners	1
2.	Gujarat Chamber of Commerce & Industry, Ahmedabad.	Shippers	1
3.	Punjab, Haryana & Delhi Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
4.	Indian Oil Corporation Limited	Other Interest	1
5.	Gandhidham Chamber of Commerce & Industry	Shippers	1
		Total	5

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the afore-said Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 16th March, 1990 as the period within which the election of Trustees shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

[F. No. PT-18011-3/89-PT(r.)]

मा. का. लि. 117 (प्र) :— महापत्नन स्याय प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ग) के उपधानुच्छेद (1) के अनुच्छेद (ग) के उपधानुच्छेद (1) के अनुपालन में और भारत मरकार, जल -भूतल परिचहन मंदालय (पत्तन पक्ष) की श्रधियुचना सं. जी एम. आर · · · · दिनां के 31-12-1987 का श्रधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा कांचना पत्तन के त्यामी भंडन में नीचे की तालिका के कालम (1) में उज्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त के लिए उस्त नालिका के कालम (2) से उज्लिखित व्यक्तियों की सख्या निर्दिष्ट गरती है :—

तालिका

प्रतिनिधित्व फिए जाने याले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)
पस्तन में नियुक्त श्रमिक	2
सीमा णुल्क विभाग	
भारतीय रेलवे	1
गुजरात सरकार	1
जल-भूतल परिवहन भंजालय	1
रक्षा सेवाए-नी सना	1
योग	7

 यह अधिमूलना प्रशैल, 1990 के पहले दिन से प्रयुक्त होंगी।

> [फाइल सं . पी.टी -18011-3/89जी.टी (i)] योगेन्द्र नाराशण, संयुक्त सचित्र

G.S.R. 117(E).—In pursuance of sub-clause (1) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R., ... dated 31-12-87 the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed

by that Government to represent the interests	mentioned in
column (1) of the said Table on the Board of T	rustees of the
Port of Kandia.	

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labo ic employed in the Port	2
Customs Department	1

(1)		()
Indian Railways		1
Government of Gujarat		1
Ministry of Surface Transport		1
Defence Services—Navy		1
	Total	7
	·	

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1930.

[F. No. PT-18011-3/89-PT(1)] YOGENDRA NARAIN, Jt. Scey.